फतेहगढ़ पुलिस

सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश

जहानगंज। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जहानगंज थाने में ग्राम पहरी को टार्च दी। उन्हें सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गयी। कहा गया कि चौकीदार अपने अपने गांव पर पूरी तरह से नजर रखें। कोई भी संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को खबर दें। इस पर कोई लापरवाही न करें। पुलिस हर समय सूचना पर कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। कहीं दिक्कत हो तो बतायें जिससे कि उसका भी समाधान किया जा सके।

निरीक्षण कर 38 वाहनों का किया चालान

फर्रुखाबाद। जिले भर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 38 वाहनों का चालान किया गया। यातायात पुलिस ने 26 वाहनों का चालान किया है। इसके अलावा राजेपुर 2 और शहर कोतवाली ने 10 वाहनों का चालान किया है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

कोल्ड स्टोरेज मालिक की हत्या में किशोर दोष मुक्त

फर्रुखाबाद। 27 वर्ष पहले कोल्ड स्टोरेज मालिक की हत्या में पुलिस ने किशोर को दोष मुक्त कर दिया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी कोल्ड स्टोरेज मालिक की अजय अग्रवाल की 10 जुलाई 1995 की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मोहल्ला तलैया लेन निवासी किशोर, सब्जी मंडी निवासी नरेंद्र सिंह, मोहल्ला संगत निवासी भोला शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज था।

विवेचक ने किशोर सहित नरेंद्र, भोला व सब्जी मंडी निवासी सारिक अहमद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। साक्ष्य के अभाव में आरोपी सारिक अहमद को दोष मुक्त कर दिया था। (संवाद)

27 साल बाद हत्यारोपित किशोर न्याय बोर्ड से दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : वर्ष 1995 में हुई शीतगृह मालिक की हत्या के मामले में नामजद किए गए तब नाबालिग रहे किशोर की उम्र अब लगभग 44 वर्ष है। पुलिस की लंबी चली जांच और मुकदमे की सुनवाई के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने एक चश्मदीद गवाह की मौत व दूसरे के पक्षद्रोही हो जाने के चलते आरोपित मोनू कुदैसिया को दोषमुक्त कर दिया। वादी अनिल कुमार ने अपने चचेरे भाई और दुर्गा कोल्ड स्टोरेज के मालिक अजय अग्रवाल की जयनरायन वर्मा रोड पर हत्या के मामले में किशोर अपचारी को नामजंद किया था। मामले में नौकर उस्मान अली और धीरू को गवाह बनाया था।

वर्ष 1995 में दर्ज मुकदमे के विचारण के दौरान गवाह उस्मान अली की मौत हो गई। जबकि धीरू ने हत्या अपने सामने होने की बात से इन्कार कर दिया। इसी बिंदु पर अधिवक्ता जितेंद्र चौहान व मुदित मिश्रा की दलीलों के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड ने मोनू कुदैसिया को दोष मुक्त कर दिया।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

अर्राहपहाड़पुर के पास पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया इनामी

इनामी बदमाश से पुलिस मुठभेड़, गोली से घायल

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अर्राहपहाड़पुर के पास मैनपुरी के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। बदमाश गैंगस्टर में वांछित चल रहा था।

मऊदरवाजा थाना पुलिस रविवार रात 12 बजे के बाद अर्राह पहाड़पुर तिराहे के नजदीक वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर सवार युवक को आता देखा तो उसे रुकने का इशारा किया। इस पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे बचकर जान बचाई और भाग रहे बदमाश को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। बदमाश अपनी बाइक तेजी से दौड़ाने लगा लेकिन आगे जाकर बाइक समेत गिर पड़ा। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो उसने फिर गोली चला दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने उसे दबोचकर लेहिया अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम शिवा गिहार उर्फ कचरा है। वह मैनपुरी जिले के भोगांव कस्बा का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बगैर नंबर की बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर तीस मुकदमे दर्ज हैं। इसमें लूट, हमला व गैंगेस्टर के भी मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गैंगेस्टर के मामले में यह फरार चल रहा था। एसओजी ने मऊदरवाजा पुलिस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर 25 हजार का इनाम भी घोषित था।

पुलिस गिरफ्त में मुठभेड़ में घायल शातिर इनामी अपराधी शिवा गिहार उर्फ कचरा।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

पकड़ा गया 25 हजार का इनामी

मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, तीन जिलों में दर्ज हैं 30 से अधिक मुकदमे

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी अशोक कुमार मीणा ने रात में ही उससे पूछताछ की।

गोली से घायल शिवा।

अस्पताल में भर्ती घायल शिवा को देखते एसपी अशोक कुमार मीणा। संवाद

एसपी ने बताया कि बदमाश पर तीन जिलों में करीब 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी है।

मऊदरवाजा थाना पुलिस एसओजी के साथ रविवार रात करीब 12 बजे शमसाबाद मार्ग पर अर्रापहाड़पुर गांव की ओर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। करीब सवा 12 बजे एक बाइक सवार युवक आता दिखा। रोकने पर उसने बाइक भगाई तो फिसलकर गिर पड़ा।

पुलिस कर्मियों को नजदीक आता देख उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाश ने फायरिंग बंद नहीं की। भागने का प्रयास करते वक्त पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी। इससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।

पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम शिवा गिहार उर्फ कचरा निवासी गिहार बस्ती भोगांव मैनपुरी बताया। उसके पास से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद हुई। शिवा पर 25 हजार का इनाम है। उस पर जिले के कई थाना क्षेत्रों के अलावा मैनपुरी, कासगंज में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस ने घायल बदमाश शिवा को रात एक बजे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार मीणा ने अस्पताल पहुंचकर बदमाश से जानकारी हासिल की।

एसपी ने बताया कि शिवा शातिर बदमाश है। वह अपराध करने की फिराक में था। उसकी कई दिन से तलाश थी। उसके पास से बरामद बाइक भी शहर से ही चोरी की गई थी।

मीडिया सेल